



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102022-239653
CG-DL-E-14102022-239653

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4683]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 14, 2022/आश्विन 22, 1944

No. 4683]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 14, 2022/ASVINA 22, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2022

(आय-कर)

का.आ. 4893(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “अधिनियम” कहा गया है) की धारा 10 के खंड (23चड) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वयंभू धन निधि अर्थात् नॉर्गेस बैंक ऑन अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल (पैन: AACCN1454E) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “निर्धारिती” कहा गया है) को, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात् किंतु 31 मार्च, 2024 को या उससे पूर्व भारत में किए गए निवेशों (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त निवेश” कहा गया है) के संबंध में, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन, विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

- (i) निर्धारिती, उस तारीख से प्रारंभ होने वाली तारीख, जिसको उक्त निवेश किए गए हैं, से उस तारीख, जिसको निवेश परिसमाप्त किए गए हैं, में आने वाले सभी सुसंगत पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व आय की विवरणी फाइल करेगा।

- (ii) निर्धारिती खंड (i) में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अपनी लेखाबहियों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे *स्पष्टीकरण* में विनिर्दिष्ट किसी लेखपाल से करवाएगा और इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुबंध में दिए गए प्रारूप में अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट नियत तारीख से कम से कम एक मास पूर्व प्रस्तुत करेगा।
 - (iii) निर्धारिती एक त्रैमासिक विवरण, प्रत्येक तिमाही के अंत से एक मास के भीतर, परिपत्र सं. 2020 का 15, तारीख 22 जुलाई, 2020 से उपाबद्ध प्रारूप 2, जिसे वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (कर नीति और विधान प्रभाग) द्वारा फा.सं. 370142/26/2020-टीपीएल द्वारा जारी किया गया था, में उक्त तिमाही के दौरान किए गए प्रत्येक निवेश के संबंध में इलैक्ट्रानिकी रूप में जारी करेगा।
 - (iv) निर्धारिती ऐसे निवेशों, जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट के लिए अर्हित हैं, के संबंध में आय और व्यय का खंडवार लेखा रखेगा।
 - (v) निर्धारिती का नॉर्वे की सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वामित्व में रहना और नियंत्रित किया जाना जारी रहेगा और निर्धारिती पर, किसी भी समय, किसी और व्यक्ति का, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वामित्व या नियंत्रण नहीं होना चाहिए।
 - (vi) निर्धारिती का नॉर्वे की सरकार के कानून के अधीन विनियमित होना जारी रहेगा।
 - (vii) निर्धारिती के उपार्जनों का या तो नॉर्वे की सरकार के खाते में या उस सरकार द्वारा मनोनीत किसी अन्य खाते में प्रत्यय किया जाएगा ताकि भारत में निवेश करने से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए ऋण लिया या उधार [जैसा कि अधिनियम की धारा 10 खंड (23चड) के *स्पष्टीकरण* -2 के खंड (ii) के उपखंड (क) में अभिप्रेत है] के लिए लेनदारों या जमाकर्ताओं को किसी संदाय के सिवाय उपार्जनों के किसी भाग को किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा।
 - (viii) निर्धारिती के पास भारत में निवेश करने के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई ऋण या उधार [जैसा कि अधिनियम की धारा 10 खंड (23चड) के *स्पष्टीकरण* -2 के खंड (ii) के उपखंड (क) में अभिप्रेत है] नहीं होगा;
 - (ix) निर्धारिती की आस्ति विघटन पर भारत में निवेश करने से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए ऋण या उधार के लिए लेनदारों या जमाकर्ताओं को किसी संदाय को छोड़कर नॉर्वे की सरकार में निहित होगी; और
 - (x) निर्धारिती निवेश प्राप्तकर्ता [जैसा कि अधिनियम की धारा 10 खंड 23(चड) के *स्पष्टीकरण* -2 के खंड (i) में अभिप्रेत है] के दिन प्रतिदिन के प्रचालनों में भाग नहीं लेगा परंतु निवेश प्राप्तकर्ता के साथ निवेश की संरक्षा के लिए मॉनीटरी तंत्र को, जिसमें निदेशक या कार्यपालक निदेशकों को नियुक्त करना सम्मिलित है, निवेश प्राप्तकर्ता के दिन प्रतिदिन के प्रचालनों में भाग लेना नहीं समझा जाएगा।
2. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड) और इस अधिसूचना में यथा निर्धारित किसी भी शर्त का उल्लंघन निर्धारिती को कर छूट से अयोग्य ठहराएगा।
 3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुबंध

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के अधीन छूट का दावा करने वाली स्वयंभू धन निधि द्वारा फाइल की जाने वाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट

भाग - I

*मैं/हम रिपोर्ट करते हैं कि मैसर्स (निर्धारिती की स्थायी लेखा संख्या या आधार संख्या सहित नाम और पता), जिनके व्यौरे भाग II में दी गई हैं, की कानूनी लेखापरीक्षा अधिसूचना सं. तारीख, जो राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, की अपेक्षाओं के अनुसार, *मेरे/हमारे/मैसर्स द्वारा संचालित की गई थी।

2. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा लेखा बहियों की जांच के अनुसार, जिसके अंतर्गत सुसंगत दस्तावेज *मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरण भी हैं, यह प्रमाणित किया जाता है कि निर्धारिती ने आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड) में उल्लिखित सभी शर्तों और निर्धारिती को उक्त खंड (23चड) के अधीन छूट का दावा करने के प्रयोजन के लिए स्वयंभू धन निधि के नाते निर्धारिती को विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना में उपबंधित सभी शर्तों का अनुपालन किया है/ नहीं किया है।

2.1 *वह शर्तें, जिनका निर्धारिती ने अनुपालन नहीं किया है, नीचे दिए अनुसार हैं:

(क).....

(ख).....

3. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और लेखा बहियों की परीक्षा, जिसके अंतर्गत *मुझे/हमें दिए गए सुसंगत दस्तावेज और स्पष्टीकरण हैं, भाग II में दिए गए ब्यौरे निम्नलिखित पर्यवेक्षणों, अर्हताओं, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए सत्य और सही हैं, अर्थात् :-

(क).....

(ख).....

भाग 2

1. निर्धारिती का नाम :
2. पैन्/आधार :
3. पूर्व वर्ष :
4. पूर्व वर्ष के दौरान निर्धारिती की कुल आय
5. अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट के लिए पात्र आय की कुल रकम (सारणी 11 की मद सं. 6 के अनुसार ब्यौरे) :
6. किए गए निवेश का अथशेष (अर्थात् पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को अतिशेष), जो धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट ----- (रु. में) के लिए पात्र है, और अवधि के दौरान स्वयंभू धन निधि (एसडब्ल्यूएफ) द्वारा किए गए निवेश के ब्यौरे, निम्नानुसार हैं:

[illegible]

7. *एसडब्ल्यूएफ ने अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान से पूर्व जिसको उक्त छूट के संबंध में निवेश किया गया है, किए गए किन्हीं निवेशों का विक्रय नहीं किया है/ एसडब्ल्यूएफ ने अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए किए गए कतिपय निवेशों का उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान से पूर्व जिसको उक्त छूट के संबंध में निवेश किया गया है, किए गए किन्हीं निवेशों का विक्रय किया है, जिसके ब्यौरे नीचे दिए अनुसार है:

क्रम सं.	निवेश की तारीख	निवेश की प्रकृति (नोट 4)	आय की प्रकृति (नोट 5)	वर्ष के दौरान निवेश पर आय की रकम	उस सत्ता के ब्यौरे जिसमें निवेश किया गया है			विक्रय की तारीख
					सत्ता की प्रकृति (नोट 6)	नाम	पैन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
योग								

8. एसडब्ल्यूएफ अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात्,-

क.	क्या एसडब्ल्यूएफ प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दूसरे देश की सरकार के पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण में है	हां/नहीं
ख.	दूसरे देश की सरकार के नाम का वर्णन करें जिसके स्वामित्व और नियंत्रण में एसडब्ल्यूएफ प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः है	
ग.	क्या एसडब्ल्यूएफ प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दूसरे देश की सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में है	प्रत्यक्षतः / अप्रत्यक्षतः
घ.	दूसरे देश की सरकार द्वारा अप्रत्यक्षतः एसडब्ल्यूएफ का स्वामित्व और नियंत्रण रखने की दशा में स्वामित्व की श्रृंखला के ब्यौरे	
ङ.	उस कानून का नाम जिसके अधीन एसडब्ल्यूएफ की स्थापना की गई है और विनियमित किया जाता है	
च.	क्या उक्त निधि से अर्जनों का प्रत्यय या तो उस दूसरे देश की सरकार के खाते में किया जाता है या उस सरकार द्वारा मनोनित किसी अन्य खाते में किया जाता है जिससे अर्जनों के किसी भाग से किसी प्राईवेट व्यक्ति को कोई फायदा न हों सिवाय भारत में निवेश करने से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए लेनदारों या जमाकर्ताओं द्वारा लिए गए ऋण या उधारों के किसी संदाय के लिए।	हां/नहीं
छ.	क्या उक्त निधि की आस्ति उस दूसरे देश की सरकार में विघटन के उपरांत सिवाय भारत में निवेश करने से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए लेनदारों या जमाकर्ताओं द्वारा लिए गए ऋण या उधारों के किसी संदाय के लिए विहित हो जाएगी।	हां/नहीं

ज.	यदि (च) या (छ) का उत्तर नहीं है तो निम्नलिखित ब्यौरे दें : i. प्राईवेट व्यक्ति का नाम ii. वर्ष के दौरान प्रदान किए गए लाभ	
झ.	क्या वह अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के स्पष्टीकरण 2 की खण्ड(i) में यथा परिभाषित किसी व्यक्ति जिसके लिए निवेश किया गया है, के दिन प्रतिदिन के प्रचालनों में भाग लेता है, सिवाय वह व्यक्ति जिसके पास निवेश किया गया है, निवेश की संरक्षा करने के किसी तंत्र की मानीटरी करने के, जिसके अंतर्गत निदेशक या कार्यपालक निदेशक नियुक्त करने का अधिकार है	हां/नहीं
ञ.	यदि (झ) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें : i. जिसके पास निवेश किया गया है, का नाम ii. जिसके पास निवेश किया गया है, का पैर iii. जिसके पास निवेश किया गया है, के पास वर्ष के अंत में निवेश की रकम	
ट.	क्या उसने उसके द्वारा भारत में किए गए निवेश के ब्यौरों की परिपत्र सं. 15/2020 तारीख 22.07.2020 द्वारा जारी प्रारूप सं. 2 में संसूचना की अपेक्षा की अनुपालना की है	हां/नहीं
ठ.	क्या उसके पास भारत में निवेश करने के प्रयोजनों के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः धारा 10 के खंड (23चड) के स्पष्टीकरण 2 की खण्ड(ii) में यथापरिभाषित ऋण या उधार है	हां/नहीं
ड.	यदि (ठ) का उत्तर हां में है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें: (i) उस व्यक्ति का नाम जिससे पैसा ऋण या उधार लिया गया है (ii) वर्ष के प्रारंभ में ऋण या उधार की रकम (iii) वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण या उधार की रकम (iv) वर्ष के दौरान पुनः संदत्त ऋण या उधार की रकम (v) वर्ष के अंत में ऋण या उधार की रकम	
ढ.	क्या ऐसे निवेश के संबंध में, जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट के लिए अर्हित होता है, आय और निवेश के लिए पृथक खंडवार लेखा रखा गया है।	हां/नहीं

स्थान :

तारीख :

**(हस्ताक्षर और हस्ताक्षरकर्ता की स्टेप/मुहर)

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

पूरा पता

सदस्यता सं.....

यूडीआईएन.....

नोट्स :

1. *जो लागू न हों, उसे काट दें।

2. **यह रिपोर्ट किसी अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखपाल द्वारा दी जानी है।

3. “जिसके पास निवेश किया गया है” का वही अर्थ होगा जो उसका अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) में हैं और “ऋण और उधार” का वही अर्थ होगा जो उसका अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) के उपखंड (क) में हैं।
4. निम्नलिखित में से किसी एक कोड का चयन किया जाना है :

निवेश की प्रकृति	कोड
उधार	1
साम्य (इक्विटी)	2
अधिमानी शेयर	3
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	4

5. निम्नलिखित में से किसी एक कोड का चयन किया जाना है:

आय की प्रकृति	कोड
ब्याज	1
लाभांश	2
पूंजी अभिलाभ	3
अन्य	4

6. निम्नलिखित में से किसी एक कोड का चयन किया जाना है:

सत्ता की प्रकृति जिसमें निवेश किया गया है	कोड
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के उपखंड (iii) की मद (क) में निर्दिष्ट कारोबार न्यास	1
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के उपखंड (iii) की मद (ख) में निर्दिष्ट कंपनी या उपक्रम या सत्ता	2
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के उपखंड (iii) की मद (ग) में निर्दिष्ट वैकल्पिक निवेश निधि	3
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के उपखंड (iii) की मद (घ) में निर्दिष्ट घरेलू कंपनी	4
अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के उपखंड (iii) की मद (ङ) में निर्दिष्ट अवसंरचना वित्त कंपनी/ अवसंरचना ऋण निधि-एनबीएफसी	5

[अधिसूचना सं. 115/2022/फा. सं. 500/SWF5/S10(23FE)/FT&TR-II(Pt.2)]

अपूर्व तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2022

(INCOME-TAX)

S.O. 4893(E).—In exercise of powers conferred by sub-clause (vi) of clause (b) of the *Explanation 1* to clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the “Act”), the Central Government hereby specifies the sovereign wealth fund, namely, Norges Bank On Account Of The Government Pension Fund Global (PAN: AACCN1454E), (hereinafter referred to as “the assessee”) as the specified person for the purposes of the said clause in respect of the investment made by it in India on or after the date of publication of this notification in the Official Gazette but on or before the 31st day of March, 2024 (hereinafter referred to as “the said investments”) subject to the fulfilment of the following conditions, namely:-

- (i) the assessee shall file return of income, for all the relevant previous years falling within the period beginning from the date on which the said investment has been made and ending on the date on which such investment is liquidated, on or before the due date specified for furnishing the return of income under sub-section (1) of section 139 of the Act;
- (ii) the assessee shall get its books of account audited for the previous years referred to in clause (i) by an accountant specified in the *Explanation* below sub-section (2) of section 288 of the Act and furnish the Audit Report in the format annexed as Annexure to this notification herewith at least one month prior to the due date specified for furnishing the return of income under sub-section (1) of section 139 of the Act;
- (iii) the assessee shall furnish a quarterly statement within one month from the end of each quarter electronically in Form II as annexed to Circular No 15 of 2020, dated the 22nd July, 2020 with F. No. 370142/26/2020-TPL, issued by the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes (Tax Policy and Legislation Division), in respect of each investment made by it during the said quarter;
- (iv) the assessee shall maintain a segmented account of income and expenditure in respect of such investment which qualifies for exemption under clause (23FE) of section 10 of the Act;
- (v) the assessee shall continue to be owned and controlled, directly or indirectly, by the Government of Norway, and at no point of time should any other person have any ownership or control, directly or indirectly, in the assessee;
- (vi) the assessee shall continue to be regulated under the laws of the Government of Norway;
- (vii) the earnings of the assessee shall be credited either to the account of the Government of Norway or to any other account designated by that Government so that no portion of the earnings inures any benefit to any private person, barring any payment made to creditors or depositors for loan taken or borrowing [as defined in sub-clause (a) of clause (ii) of *Explanation 2* to clause (23FE) of section 10 of the Act] made for purposes other than for making investment in India;
- (viii) the assessee shall not have any loan or borrowing [as defined in sub-clause (a) of clause (ii) of *Explanation 2* to clause (23FE) of section 10 of the Act], directly or indirectly, for the purposes of making investment in India;
- (ix) the asset of the assessee shall vest in the Government of Norway upon dissolution, barring any payment made to creditors or depositors for loan taken or borrowing for purposes other than for making investment in India; and
- (x) the assessee shall not participate in the day-to-day operations of investee (as defined in clause (i) of *Explanation 2* to clause (23FE) of section 10 of the Act), but any monitoring mechanism to protect the investment with the investee, including the right to appoint directors or executive director, shall not be considered as participation in the day-to-day operations of the investee.

2. Violation of any of the conditions as stipulated in clause (23FE) of section 10 of the Act and this notification shall render the assessee ineligible for the tax exemption.
3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

ANNEXURE

Audit Report to be filed by the Sovereign Wealth Fund claiming exemption under of section 10 of the Income -tax Act, 1961

Part I

*I/we report that the statutory audit of M/s. (Name and address of the assessee with Permanent Account Number or Aadhaar Number), the particulars of which are given in Part II was conducted by *me/ us/ M/s. as per the requirement under the Notification No dated published in the Official Gazette on

2. In *my/ our opinion and to the best of *my/ our information and according to examination of books of account including other relevant documents and explanations given to *me/us, it is certified that the assessee *has/ has not complied with the conditions as laid down under clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (hereinafter referred to as the “Act”) and those provided in the said notification specifying the assessee being the Sovereign Wealth Fund as specified person for the purposes of claiming exemption under the said clause (23FE) of the Act.

2.1 *The conditions not complied with by the assessee are as under:-

(a)

(b)

3. In *my/our opinion and to the best of *my/ our information and according to examination of books of account including other relevant documents and explanations given to *me/us, the particulars given in the Part II are true and correct subject to the following observations/qualifications, if any, namely:-

(a)

(b)

Part II

1. Name of the Assessee :

2. PAN/AADHAAR :

3. Previous Year :

4. Total Income of the Assessee during the previous year :

5. Amount of income eligible for exemption under clause
(23FE) of section 10 of the Act
(as per details in column 11 of table at item no.6) :

6. The opening balance (i.e. the closing balance as on the last date of the preceding financial year) of the investment made which is eligible for exemption under clause (23FE) of section 10 of the Act is _____(in rupees) and details of the investment by the Sovereign Wealth Fund (SWF) during the period are as under:

Sl. No.	Date of investment	Amount of investment	Nature of investment (Note 4)	Nature of income (Note 5)	Amount of income on investment during the year	Details of the entity in which Investment made				Amount of income which is eligible for exemption under clause (23FE) of section 10 of the Act (Attach calculation sheet as per relevant rules)
						Nature of entity (Note 6)	Name	PAN	In case nature of entity code is 3/4/5, whether the entity has made minimum investment of 50 or 75 or 90 percent as required in item (c) or (d) or (e) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act (Attach calculation sheet as per relevant rules)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.										
2.										
Total										

7.*the SWF has not sold any of the investments made for the purposes of exemption under clause (23FE) of section 10 of the Act before the expiry of three years from the date on which the investment was made in respect of the said exemption/the SWF has sold certain investments made for the purposes of exemption under clause (23FE) of section 10 of the Act before the expiry of three years from the date on which the investment was made in respect of the said exemption, the details of which are as under:

Sl. No.	Date of investment	Nature of investment (Note 4)	Nature of income (Note 5)	Amount of income on investment during the year	Details of the entity in which Investment made			Date of sale
					Nature of entity (Note 6)	Name	PAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
Total								

8. The SWF satisfies all the conditions required for the purposes of exemption under clause (23FE) of section 10 of the Act, that is, -

(a)	Whether the Government of foreign country wholly owns and controls the SWF, directly or indirectly	Yes/No
(b)	Mention the name of the Government of foreign country which owns and controls the SWF, directly or indirectly	
(c)	Whether the Government of foreign country owns and controls the SWF, directly or indirectly	Directly/ Indirectly
(d)	If the Government of foreign country owns and controls the SWF indirectly, give details of the chain of ownership	
(e)	Name of the law(s) under which the SWF is set up and regulated	
(f)	Whether the earnings of the said fund are credited either to the account of the Government of that foreign country or to any other account designated by that Government so that no portion of the earnings inures any benefit to any private person, barring any payment made to creditors or depositors for loan taken or borrowing made for purposes other than for making investment in India.	Yes/No
(g)	Whether the asset of the said fund vests in the Government of such foreign country upon dissolution, barring any payment made to creditors or depositors for loan taken or borrowing made for purposes other than for making investment in India.	Yes/No
(h)	If answer to (f) or (g) is No, then provide the following details: i. Name of such private person ii. Amount of benefit provided during the year	
(i)	Whether it participates in the day to day operations of any of the investee, as defined in clause (i) of <i>Explanation 2</i> to clause (23FE) of section 10 of the Act, barring any monitoring mechanism to protect the investment with the investee including the right to appoint directors or executive director	Yes/No
(j)	If answer to (i) is yes, then provide the following details: i. Name of such investee ii. PAN of the investee iii. Amount of investment in such investee at the end of the year	
(k)	Whether it has complied with the requirement of intimation of the details of investment made by it in India in Form No II issued vide circular No 15/2020 dated 22.07.2020	Yes/No
(l)	Whether it has loans or borrowings, as defined in sub-clause(a) of clause (ii) <i>Explanation 2</i> to clause (23FE) of section 10 of the Act, directly or indirectly, for the purposes of making investment in India	Yes/No
(m)	If answer to (l) is yes, then provide the following details: (i) Name of the person from whom such loan or borrowing has been taken (ii) Amount of loan or borrowing at the beginning of the year (iii) Amount of loan or borrowing received during the year (iv) Amount of loan or borrowing repaid during the year (v) Amount of loan or borrowing at the end of the year	

(n)	Whether separate segmented account is maintained for income and investment in respect of investment which qualifies for exemption under clause (23FE) of section 10 of the Act	Yes/No
-----	--	--------

Place:

Date:

**(Signature and stamp/ Seal of the signatory)

Name of the signatory

Full address

Membership No.....

UDIN.....

Note:

1. *Delete whichever is not applicable.

2.** This report is to be given by an accountant as defined in the *Explanation* below sub-section (2) of section 288 of the Act.3. An “investee” shall have the same meaning as in clause (i) to *Explanation 2* to clause (23FE) of section 10 of the Act and “loan and borrowing” shall have the same meaning as in sub-clause (a) of clause (ii) of *Explanation 2* to clause (23FE) of section 10 of the Act.

4. One of the following codes is to be selected:

Nature of Investment	Code
Debt	1
Equity	2
Preference Shares	3
Others (Please specify)	4

5. One of the following codes is to be selected:

Nature of Income	Code
Interest	1
Dividend	2
Capital Gains	3
Others	4

6. One of the following codes is to be selected:

Nature of entity in which investment is made	Code
Business Trust referred to in item (a) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act	1
Company or enterprise or entity referred to in item (b) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act	2

Alternative Investment Fund referred to in item (c) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act	3
Domestic company referred to in item (d) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act	4
Infrastructure Finance Company/Infrastructure Debt Fund-NBFC referred to in item (e) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Act	5

[Notification No. 115/2022/F. No. 500/SWF5/S10(23FE)/FT&TR-II(Pt.2)]

APOORV TIWARI, Under Secy.